कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण) जिला– महासमुन्द (छ.ग.)

–:: विज्ञापन. ::–

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारू कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में कमशः जिला परियोजना समन्वयक एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाना है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे। विवरण निम्नानुसार है :–

क.	पद का नाम	मानदेय (यात्रा व्यय सहित)	पद की संख्या	निर्धारित अवधि	स्तर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला परियोजना समन्वयक	18,000/–	01	09 माह	जिला स्तर	प्रत्येक संबंधित जिले में एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना
2	क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)	15,000/–	01	09 माह	अनुभाग स्तर	प्रत्येक संबंधित जिले में चिन्हित अनुभाग स्तर पर गठित एफआरए प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना

टीपः– 1.मानदेय में उच्च कुशल श्रमिक हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मासिक वेतन दरें तथा यात्रा व्यय शामिल है
2.सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं बलरामपुर जिले में 2–2 चिन्हित अनुभाग के एफआरए सेल हेतु एवं शेष 21 जिले में 1–1 चिन्हित अनुभाग के एफआरए सेल हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पदो का विज्ञापन जारी किया जाये।

पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि धारक हो । कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए।
2. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कियान्वयन का न्यूनतम तीन वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना होगा ।
3. अधिकतम आयु 01 जनवरी 2022 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
4. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा । जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
5. आवेदन की प्रकिया तथा निर्धारित तिथि

   (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर दिनांक 18.07.2022 तक संबंधित जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करेंगे।

   (ii) आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में दिनांक 10 जुलाई पश्चात् साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने–जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

   (iii) यदि दिनांक 10.07.2022 तक प्राप्त आवेदनों में पूर्व में जारी विज्ञापन अनुसार पात्रता रखने वाले उम्मीदवार न मिल पाने की स्थिति में जिलास्तरीय चयन समिति आवश्यकतानुसार पात्रता की शर्तों के कंडिका 02 को सिथिल कर (पात्रता की अन्य शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में) प्राप्त आवेदनों में से साक्षात्कार के उपरांत तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर उक्त पदों पर नियुक्ति कर सकती है।

   (iv) साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण के उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निर्धारित तिथि से दूरभाष/ ईमेल पर अवगत कराया जायेगा।

(v) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/अध्यक्ष डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय स्तर से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा।

(vi) साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार सफल अभ्यार्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल प्रशिक्षार्थियों द्वारा 01 सप्ताह में ज्वाइनिंग देनी होगी अन्यथा ज्वाईन न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

(vii) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

पद के कर्तव्य (जिला परियोजना समन्वयक)

1. वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित सौपे गये कार्य यथा–एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर सहायक आयुक्त/जिला नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
2. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के कियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। फील्ड वर्कर के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करना।
3. डीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहयोग करना।
4. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना।
5. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना।
6. जिला स्तर एवं अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
7. वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर/अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
8. जिला अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
9. जिला नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।

क्षेत्रीय कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)

1. वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित सौपे गये कार्य यथा–एफआरए एमपीआर क्यूपीआर सभी ब्लाक स्तर से एफआरए डाटा संग्रहण कर प्रस्तुत कर अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
2. वन अधिकार समितियों के सदस्य/मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के कियान्वयन से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समस्याओं का निराकरण में सहयोग करना।
3. एसडीएलसी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता का दस्तावेजीकरण एवं डाटा का प्रस्तुतिकरण करने में सहयोग करना।
4. फील्ड विजिट करना तथा समस्याओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों से चर्चा का समाधान निकालना।
5. व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्ट क्लेम में सपोर्ट करना। इस हेतु संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करना।
6. अनुभाग स्तर पर एफआरए सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।

7. वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर/अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
8. अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे।
9. वन अधिकार जैसे– व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन के दावे तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने में कठिनाईयों का निराकरण इत्यादि में सहयोग प्रदान करना।
10. अनुभाग अधिकारी राजस्व/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास महासमुन्द

पृ.क्रमांक/1046/आदि.वि./वनअधि0/2022–23
महासमुन्द, दिनांक : 12/07/2022

प्रतिलिपि :–

1. **आयुक्त,** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. **कलेक्टर,** जिला–महासमुन्द, की ओर सादर सूचनार्थ।
3. **जिला जनसंपर्क अधिकारी,** जिला महासमुन्द को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन निःशुल्क स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. **जिला सूचना विज्ञान अधिकारी** (एन.आई.सी.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि जिले के वेबसाईड <u>www.mahasamund.gov.in</u> में अपलोड करने का कष्ट करें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास महासमुन्द

आवेदन पंजीकरण कमांक –..................

(कार्यालयीन उपयोग के लिये)

आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र

वर्ष 2022–23

आवेदित पद का नाम ....

1 आवेदक का नाम

2. पिता का नाम

3. जन्म तिथि

4. आवेदक की श्रेणी

(सामान्य / एस.सी / एस.टी / ओ.बी.सी.)

5. मूल निवास

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. निवास का पता ई–मेल सहित

फोन / मोबाईल नंबर

7. शैक्षणिक योग्यता –

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क.	बोर्ड परीक्षा का नाम	शामिल होने का वर्ष	परीक्षा परिणाम	प्रतिशत
1	हाईस्कूल			
2	हायर सेकेण्डरी			
3	स्नातक			
4	अन्य			

6. वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन का अनुभव की कुल अवधि–...

(अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

क.	संस्था का नाम	कार्या अवधि		कार्यभार का प्रकार (विवरण देवें)
		कब से	कब तक	

घोषणा पत्र

मैं..घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा आवेदन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर–.....................................

नाम–..

दिनांक –...................................